प्रपत्र VI

बिहार सरकार,

समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

पत्रांक............................../भू–अर्जन, किशनगंज दिनांक..

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि कि मौजा चुरली, थाना नं. 15 में 4.00 (चार एकड) एकड भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा **एस.एस.बी. 19वीं बटालियन, के बी.ओ.पी. कैम्प खटखटी परिसर हेतु** अपेक्षित है।

अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा चुरली, थाना नं. 15, थाना–कुर्लीकोट, अंचल ठाकुरगंज, जिला किशनगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 4.00 (चार एकड़) एकड का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है:–

क्र.	ग्राम /थाना नं	अंचल	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखड स0)			
									उ0	द0	पू0	प0
1	चुरली/ 15	ठाकुरगंज	258	967 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.9100	गुलवहार ई., पिता–रोशन अली सा.–कुर्लीकोट	नीज	खेसरा 2761 2760	खेसरा 969 970	रास्ता
2	तदैव	तदैव	258	968	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0200	गुलवहार ई., पिता–रोशन अली सा.–कुर्लीकोट	खेसरा 967	खेसरा 967	खेसरा 969	खेसरा 967
3	तदैव	तदैव	258	969	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0300	गुलवहार ई., पिता–रोशन अली सा.–कुर्लीकोट	खेसरा 970	खेसरा 970	खेसरा 970	खेसरा 968
4	तदैव	तदैव	258	970	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1400	गुलवहार ई., पिता–रोशन अली सा.–कुर्लीकोट	खेसरा 976	खेसरा 971	खेसरा 971	खेसरा 969 967
5	तदैव	तदैव	258	971 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.2430	गुलवहार ई., पिता–रोशन अली सा.–कुर्लीकोट	खेसरा 975	खेसरा 2758	नीज खेसरा	खेसरा 970
6.	तदैव	तदैव	139	976 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0660	गुलवहार ई., पिता–रोशन अली सा.–कुर्लीकोट	नीज खेसरा	खेसरा 975 970	खेसरा 975	खेसरा 967
7.	तदैव	तदैव	258	975 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1160	गुलवहार ई., पिता–रोशन अली सा.–कुर्लीकोट	खेसरा 976	खेसरा 971	नीज खेसरा	खेसरा 970
8	तदैव	तदैव	235	2760	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.6400	दिलवहार, पिता–रमजान अली ई. सा.–कुर्लीकोट	खेसरा 967	रास्ता	खेसरा 2753 2759	खेसरा 2761
9	तदैव	तदैव	235	2759	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.2600	दिलवहार, पिता–रमजान अली ई. सा.–कुर्लीकोट	खेसरा 967	खेसरा 2753	खेसरा 2758 2754	खेसरा 2760

Scanned with CamScanner

10	तदैव	तदैव	495	2753	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.3300	सफीकुल्लाह, पिता-वली बकरा ई.	खेसरा 2759 2754	रास्ता	खेसरा 2751	खेसरा 2760
11	तदैव	तदैव	139	2758 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.2500	मो. जाकीर हुसैन, पिता-शे. गुलवहार	खेसरा 971	खेसरा 2754	खेसरा नीज	खेसरा 2759
12	तदैव	तदैव	139	2754 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1150	मो. फारूक ई., पिता-पिता-गुलबहार	खेसरा 2758	खेसरा 2753 2751	खेसरा नीज	खेसरा 2759
13	तदैव	तदैव	235	2751 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.1750	मो. वारीश ई., पिता-गुलवहार, सा. -कुर्लीकोट	खेसरा 2754	नीज, खेसरा 2752	नीज खेसरा	खेसरा 2753
14	तदैव	तदैव	235	2752	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.0200	मो. वारीश ई., पिता-गुलवहार, सा. -कुर्लीकोट	खेसरा 2751	खेसरा 2735	खेसरा 2751	रास्ता
15	तदैव	तदैव	139	2761 (P)	रैयती	दो फसला (कृषि योग्य)	0.6850	गुलवहार ई., पिता-रमजान अली सा.-कुर्लीकोट	खेसरा 967	रास्ता	खेसरा 2760	रास्ता
						Total	**4.0000**					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी किशनगंज और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक तथा उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) में यथा उपबंधित विर्निदिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

चूँकि उक्त भूमि परियोजना हेतु तुरंत अपेक्षित है, अतएव राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 40(4) के अधीन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चय किया है। अधिनियम की धारा 15 के उपबंध इस भू-अर्जन पर लागू नहीं होगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
Adityakumar 2/7/2020
समाहर्त्ता-सह-समुचित सरकार,
किशनगंज।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक 754 / जि.भू–अर्जन, किशनगंज, दिनांक 8.7.20

प्रतिलिपिः: निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारंभिक अधिसूचना की तीन प्रतियाँ सी.डी. सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की दस–दस (10–10) प्रतियॉ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
Aditya Kumar 2/7/2020
समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार,
किशनगंज।

ज्ञापांक 756 / जि.भू–अर्जन, दिनांक 8.07.2020

प्रतिलिपिः: प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट एवं ग्राम पंचायत के सूचनापट पर कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः: अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति का तामिला सभी संबंधित रैयतों/संबंधित पंचायत के सरपंच/मुखिया को कराते हुये तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट पर भी कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः: जिला अवर निबंधक, किशनगंज/अवर निबंधक, ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: अनुमडंल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचनापट पर कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः: आई.टी., मैनेजर, समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति का प्रकाशन जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः: सेनानायक, एस.एस.बी. 19वीं बटालियन, ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/7/2020
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
किशनगंज।
08/7/2020

Scanned with CamScanner